



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2570]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 26, 2016/कार्तिक 4, 1938

No. 2570]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 26, 2016/KARTIKA 4, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3317(अ).—केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (3) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2016 है।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 में,-

(क) पैरा 2 में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वे आते हैं, “उपाध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा।

(ख) प्रारूप च, छ और ज में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर, जहाँ- जहाँ वे आते हैं, “उपाध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. टी-12012/1/2016(प्लान्ट-ए) भाग-I]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र के का.आ. सं. 486(अ) द्वारा असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड (ii) तारीख 01.04.2005 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 25th October, 2016

S.O. 3317(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Tea (Distribution and Export) Control Order, 2005, namely:-

1. Short Title and Commencement.- (1) This Order may be called the Tea (Distribution and Export) Control (Amendment) Order, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tea (Distribution and Export) Control Order, 2005,-

(a) in paragraph 2, for the word “Chairman”, wherever it occurs, the words “Deputy Chairman” shall be substituted;

(b) in Forms F, H and I, for the word “Chairman”, the words “Deputy Chairman” shall be substituted.

[F.No.T-12012/1/2016(Plant-A) Pt.-I]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal order was published vide S.O. No. 486(E), dated 1.4.2005 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3318(अ).—केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उप-धारा (3) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय भंडागार (अनुज्ञापन) आदेश, 1989 को और संशोधन करने लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय भंडारागार (अनुज्ञापन) (संशोधन) आदेश, 2016 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. चाय भंडागार (अनुज्ञापन) आदेश, 1989 में, पैरा 2 के उपपैरा (1) में,-

(क) मद (ख) में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर, “उपाध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा।

(ख) मद (च) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(च) ‘अनुज्ञापन प्राधिकारी’ से यथा स्थिति, “बोर्ड का उपाध्यक्ष अथवा कार्यपालक निदेशक, गुवाहाटी अथवा कार्यपालक निदेशक, कूनूर अभिप्रेत है”

- (ग) प्रारूप ख में “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर “उपाध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक, गुवाहाटी, कार्यपालक निदेशक, कूनूर” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. टी-12012/1/2016-बागान(क) भाग-I]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी , अपर सचिव

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं का.आ. 472(अ) तारीख 20.6.1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्ति संशोधन अधिसूचना सं का.आ. 697(अ), तारीख 23.7.2001 द्वारा किया गया।

ORDER

New Delhi, the 25th October, 2016

S.O. 3318(E).—In exercise of the power conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Tea Warehouses (Licensing) Order, 1989, namely:-

1. Short Title and Commencement.—(1) This Order may be called the Tea Warehouses (Licensing) Amendment Order, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tea Warehouses (Licensing) Order, 1989, in paragraph 2, in sub-paragraph (1),-

(a) in item (b), for the word “Chairman”, the words “Deputy Chairman” shall be substituted;

(b) for item (f), the following shall be substituted, namely:-

“(f) “Licensing Authority” means the Deputy Chairman of the Board or the Executive Director, Guwahati or the Executive Director, Coonoor of the Board, as the case may be.”;

(c) in Form B, for the word “Chairman”, the words “Deputy Chairman, Executive Director, Guwahati, Executive Director, Coonoor” shall be substituted.

[F. No. T-12012/1/2016-Plant (A) Pt.-I]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal order was published vide Notification Number S.O. 472(E) dated 20.6.1989 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) and subsequently amended vide Notification Number. S.O. 697(E), dated 23.7.2001.

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3319(अ).—केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 में संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश को चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2016 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 में,-
(क) पैरा 2 में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वे आते हैं, “उपाध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा ;
(ख) प्रारूप ख, घ और छ में “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर, “उपाध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. टी-12012/1/2016-बागान(क) भाग-I]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पणी : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, में, का.आ. 1(अ) तारीख 01.01.2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्ति संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किए गए :-

1. का. आ. 247(अ) तारीख 28 फरवरी, 2003
2. का. आ. 430(अ) तारीख 10 अप्रैल, 2003
3. का. आ. 270(अ) तारीख 27 फरवरी, 2004
4. का.आ. 1170(अ) तारीख 20 अक्टूबर, 2004
5. का. आ. 1017(अ) तारीख 15 जुलाई, 2005
6. का.आ. 1012(अ) तारीख 15 अप्रैल, 2015
7. का. आ. 2688(अ) तारीख 01 अक्टूबर, 2015

ORDER

New Delhi, the 25th October, 2016

S.O. 3319(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following order to amend the Tea (Marketing) Control Order, 2003, namely:-

1. **Short Title and Commencement.**—(1) This Order may be called the Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2016.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Tea (Marketing) Control Order, 2003,-
(a) in paragraph 2, for the word “Chairman”, wherever it occurs, the words “Deputy Chairman” shall be substituted;
(b) in Forms, B, D and H for the word “Chairman” the words “Deputy Chairman” shall be substituted.

[F. No. T-12012/1/2016-Plant (A) Pt.-I]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal order was published vide S.O. 1(E), dated 1.1.2003 in the Gazette of India, Extraordinary and subsequently amended by the following notifications:-

- (1) S.O. 247(E) dated the 28th February, 2003.
- (2) S.O. 430(E) dated 10th April, 2003.
- (3) S.O. 270(E) dated 27th February, 2004.
- (4) S.O. 1170(E) dated 20th October, 2004.
- (5) S.O. 1017(E) dated 15th July, 2005.
- (6) S.O. 1012(E) dated 15th April, 2015,
- (7) S.O. 2688(E) dated 1st October, 2015.

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3320(अ).—केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (3) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम प्रारंभ – (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2016 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959 में,-
(क) खंड 2 में, उपखंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“(घ) “अनुज्ञापन प्राधिकारी” से, यथास्थिति, बोर्ड का उपाध्यक्ष अथवा कार्यपालक निदेशक, गुवाहाटी अथवा कार्यपालक निदेशक, कूनूर, अभिप्रेत है ;” ;
(ख) प्रारूप ख और ग में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर, “उपाध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक, गुवाहाटी, कार्यपालक निदेशक, कूनूर” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. टी-12012/1//2016-बागान(क) भाग-I]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी , अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) में सा.का.नि. संख्या 354 तारीख 18.3.1959 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्ति संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :-

- (1) सा.का.नि. 848 तारीख 26.6.1961
- (2) सा.का.नि. 235 तारीख 04.02.1964
- (3) सा.का.नि. 457 तारीख 03.04.1975

- (4) सा.का.नि. 507 तारीख 24.03.1979
- (5) सा.का.नि. 1318 तारीख 03.11.1979
- (6) सा.का.नि. 763 तारीख 23.12.1998
- (7) सा.का.नि. 629 तारीख 31.08.2001
- (8) सा.का.नि. 167 तारीख 05.03.2002

ORDER

New Delhi, the 25th October, 2016

S.O. 3320(E).—In exercise of the power conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Tea Waste (Control) Order, 1959, namely:-

1. **Short Title and Commencement.**—(1) This Order may be called the Tea Waste (Control) Amendment Order, 2016.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Tea Waste (Control) Order, 1959,-
 - (a) in clause 2, for sub-clause (d), the following shall be substituted, namely:-

“(d) “Licensing Authority” means the Deputy Chairman or the Executive Director, Guwahati or the Executive Director, Coonoor of the Board, as the case may be;” ;
 - (b) in Forms B and C, for the word “Chairman”, the words “Deputy Chairman, Executive Director, Guwahati, Executive Director, Coonoor” shall be substituted.

[F. No. T-12012/1/2016-Plant (A) Pt.-I]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal order was published vide Notification Number GSR 354, dated 18.3.1959 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) and subsequently amended vide following notifications:-

1. No G.S.R. 848 dated 26.6.1961
2. No G.S.R. 235 dated 04.2.1964
3. No G.S.R. 457 dated 03.4.1975
4. No G.S.R. 507 dated 24.3.1979
5. No G.S.R. 1318 dated 03.11.1979
6. No G.S.R. 763 dated 23.12.1998
7. No G.S.R. 629 dated 31.8.2001
8. No G.S.R. 167 dated 05.3.2002